संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/आर.के.एस/2015/818 भोपाल, दिनांक 10/06/2015

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्य प्रदेश।

विषयः— जिले के विभिन्न चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य संस्थाओं की रोगी कल्याण समितियों द्वारा वाहय एवं अन्तः रोगियों से सेवा शुल्क लिये जाने बाबत् स्पष्टीकरण।

प्रदेश में रोगी कल्याण समितियां वर्ष 1995 में स्थापित की गयी थीं एवं वर्तमान में रोगी कल्याण समिति नियमावली, 2010 के तहत ये समितियां संचालित हैं। इस नियमावली के नियम 8.2 में यह प्रावधान है कि चिकित्सालय की समस्त सुविधाएं जैसे वाह्य रोगी विभाग में टिकिट, पैथोलाजी जांच, भर्ती होने पर विशेष ईलाज, शल्यक्रिया आदि पर उपभोक्ता शुल्क वसूला जायेगा।

विभाग द्वारा प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क जांच एवं उपचार योजना आरंभ किये जाने के पश्चात यह निर्देश जारी किये गये थे कि चिकित्सालयों में आ रहे सभी रोगियों को पूर्णतः निःशुल्क जांच एवं उपचार उपलब्ध कराया जाये।

कुछ जिलों द्वारा इस संदर्भ में संचालनालय से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि निःशुल्क जांच एवं उपचार योजना प्रारंभ होने के उपरांत ओ. पी. डी. व आई. पी. डी. का पंजीयन शुल्क व रोगी कल्याण समिति द्वारा प्रदाय की जा रही अन्य सेवाओं के सेवा शुल्क लिए जाने हैं अथवा नहीं। प्रायवेट वार्ड के लिए शुल्क लिए जाने के संबंध में भी संचालनालय से मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि रोगी कल्याण समितियां स्वविवेक से ओ.पी.डी. टिकिट एवं अन्तःरोगी विभाग में भर्ती हेतु पंजीयन शुल्क रोगियों से पूर्वानुसार ले सकती हैं। उक्त शुल्क केवल ए.पी.एल. रोगियों से ही लिया जा सकता है। बी.पी.एल. एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत आ रहे रोगियों से कोई पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाना है।

शासन द्वारा निर्धारित एवं शासकीय व्यय पर प्रदायित समस्त जाँचें एवं उपचार, चिकित्सालयों में आ रहे समस्त रोगियों जिनमें ए.पी.एल. रोगी भी सम्मिलित हैं, को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है।

रोगी कल्याण समिति द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रदायित जाँच एवं उपचार सुविधाओं (यथा सी.टी. स्केन, डायलिसिस आदि) के लिये रोगी कल्याण समिति द्वारा शुल्क लिया जा सकेगा। बी.पी.एल. श्रेणी के रोगियों द्वारा देय ऐसे शुल्क की प्रतिपूर्ति दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत की जाएगी ।

इसके अतिरिक्त चिकित्सालयों के प्राईवेट वार्ड में भर्ती रोगियों से कक्ष शुल्क भी पूर्वानुसार लिया जा सकता है। प्रायवेट वार्ड में भर्ती समस्त रोगियों जिनमें ए.पी.एल. रोगी भी सम्मिलित हैं, को निःशुल्क जाँच व उपचार सुविधायें अन्य रोगियों की भांति ही उपलब्ध कराई जायेंगी ।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें । आपके जिले के अन्तर्गत स्थित सभी स्वास्थ्य संस्थाओं की रोगी कल्याण समितियो द्वारा लागू अन्तः रोगी एवं वाह्य रोगी का पंजीयन शुल्क व प्राइवेट वार्ड की संख्या तथा कक्ष शुल्क की जानकारी संचालनालय को ई-मेल hospital.mphealth@gmail.com एवं kkthassu@mp.nic.in पर एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करें।

(डॉ. के.के.ठस्सू)
संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अ.प्र.), म.प्र.

पृ. क्रमांक / आर.के.एस /2015/ भोपाल, दिनांक /05/2015

प्रतिलिपिः-

1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल (म.प्र.)।
3) मिशन संचालक, एन.एच.एम., जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)।
4) समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र., भोपाल।
5) वित्तीय सलाहकार, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल (म.प्र.) ।
6) संचालक, वित्त, एन.एच.एम, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)।
7) समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐ (म.प्र.)।
8) समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
9) समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अ.प्र.), म.प्र.